

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक - एफ 73- 57 /20-3/2004

भोपाल, दिनांक - ~~जुलाई-2004~~

07-08-2004

प्रति,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय दिल्ली पब्लिक अकादमी दीनदयाल नगर, ग्वालियर; मध्यप्रदेश
को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. से सम्बन्धता हेतु
एन.ओ. सी. देने बाबत ।


== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय दिल्ली पब्लिक अकादमी दीनदयाल नगर, ग्वालियर
को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण - पत्र विज्ञापन प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में मध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक {परीक्षा} को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से जिन्हें कार्यों को अर्पण की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


॥ आर. आर. अहिरवार ॥
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठानंकन क्रमांक एफ 73- 57 /20-3/2004


भोपाल, दिनांक - जुलाई 2004

07-08-2004

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - ग्वालियर ॥ मध्यप्रदेश ॥
3. प्राचार्य, अशाओ दिल्ली पब्लिक अकादमी दीनदयाल नगर, ग्वालियर ॥ म.प्र. ॥
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग